निगरानी 2463-I-15

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर

लक्ष्मन तनय गोरेलाल बसोर
निवासी पहाडी हीराजू तह. राजनगर जिला छतरपुर .....निगरानीकर्ता

विरूद्व

म.प्र.शासन .....अनावेदक

## निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/5/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम महेवा स्थित भूमि खसरा क्र 2985/3 रकवा 1.586 हे. का विधिवत् पटटा धनीराम बसोर को प्रदाय किया गया था, धनीराम बसोर को पैसों की आवश्यकता होने के कारण उसके द्वारा उक्त भूमि को विक्रय किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा सरसरे तौर पर निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व धनीराम द्वारा एक अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा स्वीकार कर अपर कलेक्टर छतरपुर का आदेश निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया तथा धनीराम द्वारा उपरोक्त भूमि का विक्रय निगरानीकर्ता को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर किया गया तथा क्रय उपरांत निगरानीकर्ता का नामांतरण अपर आयुक्त सागर संभाग के आदेश के पालन में अतिरिक्त तहसीलदार महेवा के आदेशानुसार दर्ज किया गया। परंतु एक झूठे शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर भूमि का बंटन निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जा रही है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

**प्रकरण क्रमांक.** निग. 2463/I/15 **जिला** छतरपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 5-8-15 | 1– मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 44/अ–21/2013–14 मे पारित आदेश दिनांक 14/05/15 के विरूद्व म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।<br>2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है संहिता की धारा 165 (7–ख) के अनुसार बिना कलेक्टर महोदय की स्वीकृति के कोई पट्टेदार अपनी भूमि विक्रय नहीं कर सकता हैं परंतु संहिता की धारा 158(3) में यह व्यवस्था दी गई है कि पट्टेदार 10 वर्ष बाद भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद अपनी भूमि का विक्रया बिना कलेक्टर महोदय की अनुमति के भी कर सकता है। इस प्रकरण में कि ग्राम महेवा स्थित भूमि खसरा नंबर 2985/3 रकवा 1.586 हे0 भूमि का पट्टा धनीराम तनय हल्कईयां बसौर को प्रदाय किया गया था जिसकी विक्रय की अनुमति हेतु धनीराम द्वारा एक आवेदन पत्र अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध धनीराम द्वारा एक अपील अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें अपर आयुक्त सागर द्वारा अपर कलेक्टर छतरपुर का आदेश निरस्त कर अपील को स्वीकार किया गया जिसके आधार पर धनीराम द्वारा भूमि का विक्रय आवेदक को किया गया तथा आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश भी अपर तहसीलदार महेवा जिला छतरपुर द्वारा किया गया है। ..<br>3– आवेदक की ओर से तर्क मे कहा गया है कि इस प्रकरण में अतिरिक्त तहसीलदार महेवा के आदेश के आधार पर प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गई है बिना किसी सूक्ष्म जॉच न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत क्रय शुदा भूमि को शासन के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। इसी के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है।<br>4– आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 10 वष बंटन पश्चात किये गये विक्रय पत्र को शून्य किये जाने बावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की जाना न्यायसंगत | |

[कृ. प. उ.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | नहीं है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने इसी वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया नामांतरण आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा की जा रही कार्यवाही को समाप्त करने का अनुरोध किया है।<br>5–आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश पत्रिकांए एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की है तथा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के आदेश दिनॉक 24.09.2013 के अनुक्रम में अतिरिक्त तहसीलदार महेबा द्वारा भूमि का नामांतरण आवेदक के पक्ष में स्वीकृत किया गया है इस कारण धारा 165(7–ख) का उल्लंघन किया जाना नहीं पाया जाता है।<br>6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 44/अ–21/2013–14 में प्रचलित कार्यवाही वैद्यानिक न होने से समाप्त करते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जायें प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br>सदस्य | |